न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—135/2013/75 (2013/00040)

1. धूकल (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती नंगी पत्नि धूकल,
   1/2— बीरम पुत्र धूकल,
   1/3— सीता पुत्री धूकल,
   1/4— शारदा पुत्री धूकल,
   1/5— मुन्ना पुत्र धूकल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/5/1— मु0 गोपली पत्नि मुन्ना,
   1/5—2— सम्पत पुत्र मुन्ना,
   1/5—3— नौरत पुत्र मुन्ना,
   1/5—4— गुड्डी पुत्री मुन्ना,
   1/5—5— निम्बा पुत्री मुन्ना,
   1/5—6— मौसमी पुत्री मुन्ना,
   1/5—7— रेखा पुत्री मुन्ना,
2. रामा पुत्र शालू,
3. श्योजी पुत्र शालू,
4. प्रभूसिंह पुत्र भीमा,
5. बालूसिंह पुत्र भीमा,
6. निहालसिंह पुत्र भीमा,
7. श्रीमती गीता पुत्री भीमा,
8. श्रीमती हीरा पुत्री भीमा,
9. गोपाल पुत्र सूरजमल,

   समस्त जाति रावत, निवासी प्रतापपुरा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।
2. सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, भिनाय एवं शिविर प्रभारी भिनाय ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
4. सरकार जरिये ग्राम पंचायत सरंपच, करांटी, तह0 भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 18.2.2013.

उपस्थितः—

1. श्री मदनसिंह रावत,, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री राजेन्द्रसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 31.7.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 18.2.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)/कअ/राजस्व/13/51 दिनांक 18.2.2012 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अंतर्गत शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा चारागाह प्रयोजनार्थ आरक्षण की अनुशंसा से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम प्रतापपुरा तहसील भिनाय के खसरा नंबर 393 रकबा 2.90 है0 किस्म गै0मु0मगरी को राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 के के तहत सिवायचक से चारागाह आरक्षित करने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि आधार जमाबंदी खसरा नंबर नंबर 393 रकबा 2.90 है0 जिसके जमाबंदी खसरा नंबर 130 मिन एवं 156 मिन, खसरा नंबर 394 रकबा 0.48 है0 जिसके वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 156 मिन वाकै मोजा प्रतापपुरा, ग्राम पंचायत करांटी तहसील भिनाय पर अपीलांटस अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजियात के चारों तरफ अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात है । अपीलांटस सद्भाविक एवं भूमिहीन काश्तकार है जो कृषि कार्य करते है जिन्होंने आराजी मुतनाजा को उनकी खातेदारी के मध्य में स्थित है जो कि मौके पर उबड़–खाबड़ थी जिस पर काफी मेहनत करके संपूर्ण भूमि को लाखों रूप्ये खर्च कर अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त की भूमि को समतल कर काश्त करते चले आ रहे है । विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त होने के कारण भू–संशोधन का पर्चा इनके पिता के नाम से जारी किया गया था लेकिन उस भू–संशोधन में नदि, नाले के रास्ते की गड़बड़ होने की वजह से संपूर्ण भू–संशोधन को निरस्त कर दिया था इसलिये अपीलांट खातेदारी प्राप्त करने से वंचित रह गये थे । आराजी मुतनाजा अपीलांटस की खातेदारी की भूमि के मध्य स्थित है जिसके चारों तरफ अपीलांटस की खातेदारी भूमि एवं कुएं की भूमि है वहां पर आराजियात के अलावा और कोई सिवायचक भूमि नहीं है जिसकी शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने मौके की बिना रिपोर्ट मंगाये ही अपीलांटस के बुजुर्गो के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि को सिवायचक से चारागाह में परिवर्तन करने में भूल की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रतापुरा गांव बहुत छोटा गांव है जिसमें करीबन 100 परिवार के सदस्य है और पूरे गांव में गाय, भैंस, बकरी आदि मिलाकर कुल 300 जानवर है जबकि प्रतापपुरा गांव में पूर्व से ही 160–165 बीघा चारागाह भूमि उपलब्ध है, जो वर्तामन में गांव के जानवरों के चरने के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार एवुं कानूनन पर्याप्त भूमि है । ग्राम के ग्रामीणों द्वारा चारागाह भूमि की मांग नहीं की गई है इसके बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत करांटी ने अपीलांटस से राजनैतिक द्वैषता निकालने के लिये गुपचुप तरीके से अपीलांटस के कब्जे काश्त की भूमि को चारागाह हेतु अनुशंसा की है । यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम की चारागाह भूमि से काफी दूर है तथा

अपीलांटस एवं गांव के अन्य काश्तकारों की खातेदारी आराजियात के मध्य है तथा विवादित आराजियात में आने जाने हेतु कोई रास्ता भी नहीं है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित करने से पूर्व विवादित भूमि के मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा न ही अपीलांटस को विवादित भूमि से बेदखल किया है । ग्राम प्रतापपुरा में पहले से ही काफी सिवायचक भूमि है जो चारागाह भूमि से लगती हुई है जो चारागाह हेतु उपयुक्त भूमि है किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों की जांच कराये बिना केवल मात्र सरपंच की अनुशंसा के आधार पर अपीलांटस के कब्जे काश्त की आराजी को चारागाह हेतु आरक्षित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांटस का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । राज्य सरकार ने संवत् 2005 से पूर्व सरकारी भूमि पर जिस काश्तकार का कब्जा हो को आवंटन ओर नियमन कराने की पात्रता रखते हो, ऐसी भूमियों को भूमिहीन के नाम नियमन करने के आदेश पारित करने चाहिये थे । समस्त अपीलांटस भूमिहीन काश्तकार है जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा भूमि नही है । अधी0न्याया0 ने मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी अपीलांटस को नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक होने से तथा सरपंच ग्राम पंचायत, करांटी एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय की अनुशंसा पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने गांव के पशुओं के चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है। गांव के पशुओं की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए चारागाह भूमि बाबत् अनुशंसा की गई थी । विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 18.2.2013 द्वारा ग्राम प्रतापपुरा, ग्राम पंचायत करांटी, तह0 भिनाय के खसरा नंबर 393 रकबा 2.90 है0 गै0मु0 मगरी एवं खसरा नंबर 394 रकबा 0.48 है0 बा.2 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के अंतर्गत शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा चारागाह प्रयोजनार्थ आरक्षण की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 92 के प्रावधनानुसार आरक्षित करने के आदेश पारित किये है । वकील अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 393 की भूमि के चारो तरफ अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमियां है । इस संबंध में अपीलांटस ने अपील के साथ खातेदारी भूमियों की जमाबंदिया संलग्न की है एवं इसके अतिरिक्त अपीलांटस का यह भी कथन है कि चारागाह भूमि खसरा नंबर 8, 13, 14, 15, 16, 23, 133, 116, 94, 91, 24, 3/1139 आदि भूमियां चारागाह भूमि है । उपरोक्त चारागाह भूमियों के लगती हुई खसरा नंबर 3, 9 व 10, 182, 136, 134, 135 , 120, 121 एवं खसरा नंबर 41 की सिवायचक भूमियां उपलब्ध है परन्तु विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों की गलत रिपोर्ट के आधार पर चारागाह के सन्निकट उपलब्ध सिवायचक भूमियों को छोड़कर खसरा नंबर 393 की भूमि जो कि अपीलांटस के खातेदारी भूमि के मध्य में स्थित होने से

चारागाह हेतु उपयुक्त भूमि नही है, को चारागाह के लिये आरक्षित कर दी है । यदि खातेदारी खेतों के मध्य चारागाह भूमि रखी जाती है तो अपीलांटस की खातेदारी भूमियों को नुकसान होने की संभावना है । अपीलांटस का यह भी कथन है कि खसरा नंबर 393 की भूमि पर जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । यदि अपीलाधीन भूमि चारागाह के रूप में रखी जाती है तो गांव के पशुधन अपीलांटस की खातेदारी की भूमियों में आवागमन करेंगे जिससे अपीलांटस की खातेदारी भूमियों पर खड़ी फसलों को नुकसान होगा । इस कारण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को खसरा नंबर 393 के बजाय ग्राम की पूर्व चारागाह भूमि के निकट व लगती हुई उपलब्ध सिवायचक भूमियों में से चारागाह हेतु आरक्षित करनी चाहिये थी । यह भी कथन रहा है कि आरक्षण से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं न ही कोई नोटिस दिया गया जबकि पूर्व राजस्व अभिलेख एवं भू–संशोधन राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 393 अपीलांटस के पूर्वजों की कब्जे काश्त की भूमि रही है । इस संबंध में हाजा न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व नक्शें का अवलोकन किया गया । राजस्व नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व चारागाह भूमि खसरा नंबर 8, 13, 14, 15, 16, 23, 133, 116, 94, 91, 24, 3/1139 आदि के समीप एवं लगती हुई सिवायचक भूमि खसरा नंबर 3, 9 व 10, 182, 136, 134, 135 , 120, 121 एवं 41 उपलब्ध है एवं सिवायचक भूमियां उपलब्ध होते हुए अपीलांटस की खातेदारी भूमियों के मध्य स्थित खसरा नंबर 393 की भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि यदि अपीलांटस की खातेदारी की भूमियों के मध्य स्थित खसरा नंबर 393 की भूमि को चारागाह के रूप में आरक्षित किया जाता है तो निश्चित रूप से गांव के पशुधन अपीलांटस की खातेदारी भूमियों में से होकर आवागमन करेंगे, अपीलांटस की फसलों को नुकसान होगा । यह सही है कि चारागाह भूमि पशुधन के लिए आवयक है किन्तु इस हेतु स्थल चयन औचित्यपूर्ण व जनहित में होना चाहिये । अपीलांटस की खातेदारी आराजियात के मध्य स्थित भूमि को चारागाह हेतु आरक्षित करना जनहित में उचित नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.2.2013 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है विवादित आराजियात के संबंध में मौके की वास्तविक रिपोर्ट एवं गांव में पूर्व से उपलब्ध चारागाह भूमि के निकट की उपलब्ध सिवायचक भूमियों की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तलब कर अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर